



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
ई-मेल :- Bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/सामान्य/2015/ 6367-8।

25 मार्च, 2015

-कार्यालय आदेश:-

प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15(2)/एआर/जीआर-1/2014 दिनांक 24.11.2014 की पालना में निर्देश दिये जाते हैं कि कानून की बाध्यता के अन्तर्गत निम्न प्रकरणों में शपथ पत्र ही स्वीकार्य होंगे :—

1. नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (2) (i) के अन्तर्गत लिया जाने वाला शपथ पत्र
2. स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक No. OE/F19 (Compaing) / DLB / 83/ 5783 दिनांक 15.09.1983 जिसके द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पटटा जारी किया जाता है, के प्रकरणों में दो व्यक्तियों के द्वारा लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के समय लिया जाने वाला शपथ पत्र।
4. सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अन्तर्गत Safety Code के लिये लिया जाने वाला शपथ पत्र।

उक्त आदेश की अनुपालना में ही नगर निगम में निम्न शपथ पत्रों के स्थान पर स्व घोषणा (Self Declaration) Annexure-01 स्वीकार किये जायेंगे।

1. विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु जारी निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र।
2. खांचा भूमि, कच्ची बस्ती नियमन, दिनांक 15.09.2009 से पूर्व के कब्जों का नियमन के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शपथ पत्र।
3. स्वास्थ्य अनुभाग में प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के साथ प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र।
4. मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति एंव नवीन भर्ती के समय लिये जाने वाले शपथ पत्र।
5. बिना नामित किये कर्मचारी की मृत्यु होने पर उन्हे बकाया के भुगतान के समय लिया जाने वाला शपथ पत्र।
6. लेखा शाखा में जमा राशि वापिस प्राप्त के समय लिये जाने वाले शपथ पत्र।

आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजात भी Self Attested स्वीकार किये जायेंगे।

चूंकि मुख्य सचिव महोदय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक रिपोर्ट भिजवायी जानी है। इस सम्बन्ध में समस्त अनुभाग प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने—अपने अनुभाग में लिये जाने वाले शपथ पत्र का एवं स्व घोषणा पत्र सम्बन्धित रजिस्टर संधारित करवावें। एवं माह की 2 तारीख तक मुख्य सचिव महोदय को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट सर्तकता शाखा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त (प्रशासन)
बीकानेर नगर निगम

क्रमांक / सामान्य / 2015 / ६३६७ - ८।

25 मार्च, 2015

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ।

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर।

2. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।

3. श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।

4. श्रीमान् महापौर महोदय, बीकानेर नगर निगम।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को पालनार्थ।

1. आयुक्त (पूर्व / पश्चिम), बीकानेर नगर निगम।

2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीकानेर नगर निगम।

3. अधिशाषी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता, बीकानेर नगर निगम।

4. सचिव व कार्यालय अधीक्षक, बीकानेर नगर निगम।

5. स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर नगर निगम।

6. राजस्व अधिकारी, बीकानेर नगर निगम।

7. यंत्रालय / भण्डार अधीक्षक, बीकानेर नगर निगम।

8. अग्निशमन अनुभाग बीछवाल / मुरलीधर व्यास नगर, नगर निगम बीकानेर।

9. अनुभाग प्रभारी, सामान्य, लेखा, स्थापना (प्रशासन) स्वास्थ्य कार्मिक, निर्माण, जीवनांकन, हैल्पलाईन, विवाह पंजीयन, ईजाजत तामीर, एस.जे.एस.आर.वाई, भूमि मुख्य कार्यालय, पेंशन लिपिक, होटल रेस्टोरेण्ट लाईसेन्स, भूमि (गंगाशहर), विवाह पंजीयन व जीवनांकन-गंगाशहर।

10. क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर एवं दक्षिण, बीकानेर नगर निगम।

11. सुरक्षित पत्रावली।


आयुक्त (प्रशासन)
बीकानेर नगर निगम



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
ई-मेल :- Bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15(2)/एआर/जी
आर-1/2014 दिनांक 24.11.2014 की अनुपालाना में विधिक/कानूनी बाध्यता के अन्तर्गत
नगर निगम बीकानेर में निम्न प्रकरणों में शपथ पत्र ही स्वीकार्य होगें।

1. नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (2) (i) के अन्तर्गत लिया जाने वाला शपथ
पत्र
2. स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक No. OE/F19 (Compaing) / DLB / 83/ 5783 दिनांक
15.09.1983 जिसके द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पटटा जारी किया जाता है, के
प्रकरणों में दो व्यक्तियों के द्वारा लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के समय
लिया जाने वाला शपथ पत्र।
4. सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अन्तर्गत Safety Code के लिये लिया जाने वाला शपथ
पत्र।


आयुक्त (प्रशासन)
बीकानेर नगर निगम



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
ई-मेल :- Bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

(Annexure -01)

प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15(2)/एआर/जी आर-1/2014 दिनांक 24.11.2014 की अनुपालाना में नगर निगम बीकानेर में शपथ पत्रों का विवरण जिसके स्थान पर स्व घोषणा (Self Declaration) Annexure-01 में स्वीकार्य की जायेगी।

- विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु जारी निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र।
- खांचा भूमि, कच्ची बस्ती नियमन, दिनांक 15.09.2009 से पूर्व के कब्जों का नियमन के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शपथ पत्र।
- स्वास्थ्य अनुभाग में प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के साथ प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र।
- मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति एंव नवीन भर्ती के समय लिये जाने वाले शपथ पत्र।
- बिना नामित किये कर्मचारी की मृत्यु होने पर उन्हे बकाया के भुगतान के समय लिया जाने वाला शपथ पत्र।
- लेखा शाखा में जमा राशि वापिस प्राप्त के समय लिये जाने वाले शपथ पत्र।

आयुक्त (प्रशासन)
बीकानेर नगर निगम



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
ई-मेल :- Bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/सामान्य/2015/ 6367-8।

25 मार्च, 2015

-कार्यालय आदेश:-

प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15(2)/एआर/जीआर-1/2014 दिनांक 24.11.2014 की पालना में निर्देश दिये जाते हैं कि कानून की बाध्यता के अन्तर्गत निम्न प्रकरणों में शपथ पत्र ही स्वीकार्य होंगे :—

1. नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (2) (i) के अन्तर्गत लिया जाने वाला शपथ पत्र।
2. स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक No. OE/F19 (Compaing) / DLB / 83/ 5783 दिनांक 15.09.1983 जिसके द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पटटा जारी किया जाता है, के प्रकरणों में दो व्यक्तियों के द्वारा लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के समय लिया जाने वाला शपथ पत्र।
4. सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अन्तर्गत Safety Code के लिये लिया जाने वाला शपथ पत्र।

उक्त आदेश की अनुपालना में ही नगर निगम में निम्न शपथ पत्रों के स्थान पर स्व घोषणा (Self Declaration) Annexure-01 स्वीकार किये जायेंगे।

1. विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु जारी निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र।
2. खांचा भूमि, कच्ची बस्ती नियमन, दिनांक 15.09.2009 से पूर्व के कब्जों का नियमन के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शपथ पत्र।
3. स्वास्थ्य अनुभाग में प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के साथ प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र।
4. मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति एवं नवीन भर्ती के समय लिये जाने वाले शपथ पत्र।
5. बिना नामित किये कर्मचारी की मृत्यु होने पर उन्हे बकाया के भुगतान के समय लिया जाने वाला शपथ पत्र।
6. लेखा शाखा में जमा राशि वापिस प्राप्त के समय लिये जाने वाले शपथ पत्र।

आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजात भी Self Attested स्वीकार किये जायेंगे।

चूंकि मुख्य सचिव महोदय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक रिपोर्ट भिजवायी जानी है। इस सम्बन्ध में समस्त अनुभाग प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने अनुभाग में लिये जाने वाले शपथ पत्र का एवं स्व घोषणा पत्र सम्बन्धित रजिस्टर संधारित करवावें। एवं माह की 2 तारीख तक मुख्य सचिव महोदय को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट सर्तकता शाखा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त (प्रशासन)
बीकानेर नगर निगम

क्रमांक/सामान्य/2015/ 6367-81

25 मार्च, 2015

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ ।

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर ।
2. श्रीमान् जिला कलकटर, बीकानेर ।
3. श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. श्रीमान् महापौर महोदय, बीकानेर नगर निगम ।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को पालनार्थ ।

1. आयुक्त (पूर्व/पश्चिम), बीकानेर नगर निगम ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीकानेर नगर निगम ।
3. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, बीकानेर नगर निगम ।
4. सचिव व कार्यालय अधीक्षक, बीकानेर नगर निगम ।
5. स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर नगर निगम ।
6. राजस्व अधिकारी, बीकानेर नगर निगम ।
7. यंत्रालय/भण्डार अधीक्षक, बीकानेर नगर निगम ।
8. अग्निशमन अनुभाग बीछवाल/मुरलीधर व्यास नगर, नगर निगम बीकानेर ।
9. अनुभाग प्रभारी, सामान्य, लेखा, स्थापना (प्रशासन) स्वास्थ्य कार्मिक, निर्माण, जीवनांकन, हैल्पलाईन, विवाह पंजीयन, ईजाजत तामीर, एस.जे.एस.आर.वाई, भूमि मुख्य कार्यालय, पेंशन लिपिक, होटल रेस्टोरेण्ट लाईसेन्स, भूमि (गंगाशहर), विवाह पंजीयन व जीवनांकन-गंगाशहर ।
10. क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर एवं दक्षिण, बीकानेर नगर निगम ।
11. सुरक्षित पत्रावली ।


आयुक्त (प्रशासन)
बीकानेर नगर निगम



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
ई-मेल :- Bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15(2)/एआर/जी आर-1/2014 दिनांक 24.11.2014 की अनुपालाना में विधिक/कानूनी बाध्यता के अन्तर्गत नगर निगम बीकानेर में निम्न प्रकरणों में शपथ पत्र ही स्वीकार्य होंगे।

1. नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (2) (i) के अन्तर्गत लिया जाने वाला शपथ पत्र
2. स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक No. OE/F19 (Compaing) / DLB / 83/ 5783 दिनांक 15.09.1983 जिसके द्वारा स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत पटटा जारी किया जाता है, के प्रकरणों में दो व्यक्तियों के द्वारा लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के समय लिया जाने वाला शपथ पत्र।
4. सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अन्तर्गत Safety Code के लिये लिया जाने वाला शपथ पत्र।


आयुक्त (प्रशासन)
बीकानेर नगर निगम



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
ई-मेल :- Bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

(Annexure -01)

प्रशासनिक सुधार विभाग (गुप-1) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15(2)/एआर/जी आर-1/2014 दिनांक 24.11.2014 की अनुपालाना में नगर निगम बीकानेर में शपथ पत्रों का विवरण जिसके स्थान पर स्व घोषणा (Self Declaration) Annexure-01 में स्वीकार्य की जायेगी।

- विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु जारी निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र।
- खांचा भूमि, कच्ची बस्ती नियमन, दिनांक 15.09.2009 से पूर्व के कब्जों का नियमन के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शपथ पत्र।
- स्वास्थ्य अनुभाग में प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के साथ प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र।
- मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति एंव नवीन भर्ती के समय लिये जाने वाले शपथ पत्र।
- बिना नामित किये कर्मचारी की मृत्यु होने पर उन्हे बकाया के भुगतान के समय लिया जाने वाला शपथ पत्र।
- लेखा शाखा में जमा राशि वापिस प्राप्त के समय लिये जाने वाले शपथ पत्र।


आयुक्त (प्रशासन)
बीकानेर नगर निगम

वर का पासपोर्ट
—साइज फोटो

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैं पुत्र
निवासी आयु वर्ष.....

घोषणा करता हूँ कि:-

- 1 यह कि मेरा विवाह सुश्री पुत्री
निवासी के साथ दिनांक
को विवाह स्थल पर सम्पन्न हुआ था।
- 2 यह कि इस शादी से पूर्व मेरी शादी नहीं हुई है एवं न ही पूर्व में मैंने पंजीयन करवाया है ना ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और ना ही मैं तलाकशुदा हूँ ना ही मैं विधुर/विधवा हूँ।
- 3 यह कि इस शादी सम्बन्धी कोई विवाद भारत के किसी भी न्यायालय/सक्षम अधिकारी के यहा विचाराधीन नहीं है। यदि विचाराधीन पाया जाता है तो इसमें समर्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- 4 यह कि शादी के कार्ड छपवाये गये /थे उपलब्ध नहीं हैं/शादी के कार्ड नहीं छपवाये गये थे या धार्मिक रिति – रिवाज के अनुसार पीले चावल बंटवाये गये थे।

घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना और संलग्न दस्तावेजात मेरी पूर्ण जानकारी के आधार पर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किए गये लाभ भी वापस लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

नोट:-

- 1 वर का जन्मतिथि प्रमाण—पत्र या पेनकार्ड या ड्राईविंग लाईसेंस या सैकेण्डरी की मार्कसीट की फोटो प्रति इस घोषणा—पत्र के साथ स्वयं सत्यापित कर संलग्न करे।
- 2 वर के पिता का वोटर आई.डी कार्ड या ड्राईविंग लाईसेंस या पानी—बिजली के बिल कि फोटो प्रति इस घोषणा—पत्र के साथ स्वयं सत्यापित कर संलग्न करें।

वधु का पासपोर्ट
—साइज फोटो

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैं पुत्री श्री

निवासी आयु वर्ष

घोषणा करती हूँ कि:-

- 1 यह कि मेरा विवाह श्री पुत्र
निवासी के साथ दिनांक
को विवाह स्थल पर सम्पन्न हुआ था।
- 2 यह कि इस शादी से पूर्व मेरी शादी नहीं हुई है एवं न ही पूर्व में मैंने पंजीयन करवाया है ना ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और ना ही मैं तलाकशुदा हूँ ना ही मैं विधुर/विधवा हूँ।
- 3 यह कि इस शादी सम्बन्धी कोई विवाद भारत के किसी भी न्यायालय/सक्षम अधिकारी के यहा विचाराधीन नहीं है। यदि विचाराधीन पाया जाता है तो इसमें समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- 4 यह कि शादी के कार्ड छपवाये गये /थे उपलब्ध नहीं हैं/शादी के कार्ड नहीं छपवाये गये थे या धार्मिक रिति – रिवाज के अनुसार पीले चावल बंटवाये गये थे।

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना और संलग्न दस्तावेजात मेरी पूर्ण जानकारी के आधार पर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किए गये लाभ भी वापस लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

नोट:-

- 1 वधु का जन्मतिथि प्रमाण—पत्र या पेनकार्ड या ड्राईविंग लाईसेंस या सैकेण्डरी की मार्कसीट की फोटो प्रति इस घोषणा—पत्र के साथ स्वयं सत्यापित कर संलग्न करें।
- 2 वधु के पिता का वोटर आई.डी कार्ड या ड्राईविंग लाईसेंस या पानी—बिजली के बिल की फोटो प्रति इस घोषणा—पत्र के साथ स्वयं सत्यापित कर संलग्न करें।

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैं पुत्र आयु

जाति निवासी जो पण्डिताई का पेशा करता हूँ।

1 मैं घोषणा करता हूँ कि श्री पुत्र श्री

एवं सुश्री पुत्री श्री

का विवाह स्थल ~ पर दिनांक

को मेरे द्वारा सम्पन्न कराया गया।

2 मैं घोषणा करता हूँ कि यह विवाह हिन्दू विवाह पद्धति से सम्पन्न हुआ है तथा बतौर गवाह घोषणा पत्र पेश कर रहा हूँ।

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना और संलग्न दस्तावेजात मेरी पूर्ण जानकारी के आधार पर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किए गये लाभ भी वापस लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

नोट:-

पण्डित/मौलवी/पादरी के परिचय पत्र या ड्राईविंग लाईसेन्स की फोटो प्रति इस घोषणा-पत्र के साथ स्वयं सत्यापित कर संलग्न करे।

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैं पुत्र

निवासी आयु वर्ष

जो कि निम्नलिखित तथ्यों की घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि—

1 मैं घोषणा करता हूँ कि श्री

पुत्र श्री एवं सुश्री

पुत्री श्री का विवाह स्थल

.....पर दिनांक को सम्पन्न हुआ ।

2 मैं घोषणा करता हूँ कि यह विवाह हिन्दु विवाह पद्धति से सम्पन्न हुआ है तथा बतौर गवाह घोषणा पत्र पेश कर रहा हूँ।

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना और संलग्न दस्तावेजात मेरी पूर्ण जानकारी के आधार पर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किए गये लाभ भी वापस लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

नोट :—

गवाह के परिचय पत्र या ड्राइविंग लाइसेन्स की फोटो प्रति इस घोषणा—पत्र के साथ स्वयं सत्यापित कर संलग्न करे।

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैं पुत्र

निवासी आयु वर्ष

जो कि निम्नलिखित तथ्यों की घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि—

1 मैं घोषणा करता हूँ कि श्री

पुत्र श्री एवं सुश्री

पुत्री श्री का विवाह स्थल

.....पर दिनांक को सम्पन्न हुआ ।

2 मैं घोषणा करता हूँ कि यह विवाह हिन्दू विवाह पद्धति से सम्पन्न हुआ है तथा बतौर गवाह घोषणा पत्र पेश कर रहा हूँ।

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना और संलग्न दस्तावेजात मेरी पूर्ण जानकारी के आधार पर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किए गये लाभ भी वापस लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

नोट :-

गवाह के परिचय पत्र या ड्राईविंग लाईसेन्स की फोटो प्रति इस घोषणा-पत्र के साथ स्वंय सत्यापित कर संलग्न करे।

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैं पुत्र/पति/श्री/श्रीमति
जाति उम्र वर्ष निवासी
बीकानेर का/की हूँ। जो कि निम्नाकित कथनों की घोषणा करता/करती हूँ :—

- यह कि मैंने अपने स्वामित्व की भूमि से सटती भूमि को खांचा भूमि के रूप में खरीदने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यह इस खांचा भूमि को खरीदने हेतु पेश किया गया मेरा प्रथम आवेदन है। इससे पूर्व इस खांचा भूमि के लिए मैंने किसी अन्य कार्यालय में आवेदन नहीं किया है और न ही मेरा आवेदन पत्र खारिज हुआ है।
- यह कि इस खांचा भूमि पर केवल मात्र मेरा ही हक लगता है। इस पर अन्य किसी का हक नहीं लगता है।
- यह कि इस खांचा भूमि एवं इससे लगती हुई पट्टा भूमि पर केश किसी भी समक्ष न्यायालय में विचारधीन नहीं है और न ही पूर्व में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया गया है।
- यह है कि इस खांचा भूमि से लगते हए मकान/भूमि का एक मात्र मालिक हूँ इसमें किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं है तथा यह पूर्णतया विवाद रहित मेरे स्वामित्व की है।
- यह कि इस खांचा भूमि की राशि जमा कराये जाने एवं विक्रय विलेख/लीज डीड मेरे पक्ष में निष्पादित हो जाने के पश्चात् खांचा भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राशि और बकाया निकलती है तो उस राशि को मैं या मेरे उत्तराधिकारी को जमा करवाने का दायित्व होगा।
- यह कि खांचा भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जावेगा जिस कार्य हेतु विक्रय किया है तथा अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग में नहीं लिया जायेगा।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना और संलग्न दस्तावेज मेरी पूर्ण जानकारी के आधार पर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किए गये लाभ भी वापस लिए जा सकते हैं।

फोटो पासपोर्ट
साईज

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैं पुत्र/पति/श्री/श्रीमति
जाति उम्र वर्ष निवासी.....
बीकानेर का/की हूँ। जो कि निम्न घोषणा करता/करती हूँ :—

1. यह कि कब्जा नियमन हेतु पेश किया गया आवेदन पत्र प्रथम है। इससे पूर्व मैंने इस कब्जे के नियमन के लिए किसी भी कार्यालय में मैंने न तो आवेदन पेश किया है न ही खारिज हुआ है।
2. यह कि इस कब्जे के अलावा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के पास राजस्थान की किसी भी नगर निगम/नगर पालिका/मण्डल की सीमा में कोई आवासीय मकान या भूखण्ड नहीं है।
3. यह कि कब्जा नियमन के साथ जो सबूत प्रस्तुत किये हैं। वे इसी कब्जा भूमि से संबंधित हैं।
4. यह कि इस कब्जा भूमि पर मैं आवेदन में अकिंत समय से परिवार सहित निवास कर रहा/रही हूँ।
5. यह की नगर निगम द्वारा नियमन की जाने वाली जमीन के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा वाद किसी सक्षम न्यायालय/सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में लम्बित नहीं है और न ही पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा मेरे विरुद्ध निर्णीत किया गया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना और संलग्न दस्तावेज मेरी पूर्ण जानकारी के आधार पर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किए गये लाभ भी वापस लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

फोटो पासपोर्ट
साईज

स्व घोषणा (Self Declaration)

मनके पुत्र/पत्नि श्री उम्र

जाति निवासी एतद् द्वारा

घोषणा करता/करती हूं कि :-

1. यह है कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या थी।

क्र.सं.	बच्चों का नाम	आयु (प्रमाण-पत्र अनुसार)

2. यह है कि दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

अथवा

दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या है।

क्र.सं.	बच्चों का नाम	आयु (प्रमाण-पत्र अनुसार)

3. यह है कि मेरे विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त की गई सूचना और संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी पूर्ण जानकारी के आधार परर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किये गये लाभ भी वापिस लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैंपुत्र/पुत्री/पति.....
उम्र..... निवासी

बीकानेर का/की हूँ जो स्वयं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे पति/पिता/माता..... पद जिनकी
नगर निगम बीकानेर में कार्यरत रहते हुए दिनांक को मृत्यु हुई है।
2. यह कि मेरे पिता/माता की मृत्यु उपरान्त मेरे पिता/माता ने को अनुकम्पा
नियुक्ति हेतु मनोनित किया है। यदि इन्हें विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है
तो इसमें मेरी पूर्णतया सहमति है। मेरे द्वारा भविष्य में कभी आपत्ति नहीं की जावेंगी।
3. यह कि मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार
अथवा केन्द्रीय सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/ निगम/अन्य संस्था में जो पूर्णतः या
भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन कर्मचारी की मृत्यु के
समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं है, एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को
नियुक्ति प्रदान की गई है।

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त की गई सूचना और संलग्न किये गये दस्तावेज
मेरी पूर्ण जानकारी के आधार परर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस
तथ्य की सही जानकारी है कि यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे
नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किये गये लाभ भी वापिस
लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैं पुत्र/पुत्री/पति..... उम्र.....
निवासी बीकानेर

का/की हूँ जो स्वयं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे पति/पिता/माता..... पद जिनकी नगर निगम बीकानेर में कार्यरत रहते हुए दिनांक को मृत्यु हुई है।
2. यह कि मृतक के परिवार की समस्त सदस्यों की पेंशन से अतिरिक्त याचक का कोई स्त्रोत नहीं है।
3. यह कि मेरी अनुकम्पा नियुक्ति उपरान्त मृतक आश्रित परिवार का कोई अन्य सदस्य नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।
4. यह कि मृतक कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम/अन्य संस्था में जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं है, एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।
5. यह कि मृतक आश्रित के रूप में मुझे अनुकम्पा नियुक्ति मिलने के पश्चात् मैं मृतक आश्रित परिवार का भरण पोषण करने के लिये बाध्य रहूँगा/रहूँगी। भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में मेरी सेवा समाप्त करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा।
6. यह कि मेरे पिता/माता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मेरे पिता/माता तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने घोषणा पत्र के रूप में सहमति प्रदान की गई हैं।
7. यह कि मैं वर्तमान में विवाहित/अविवाहित हूँ।
8. यह कि मैं विवाहित हूँ तथा मेरे एक ही पत्नी है तथा मेरे तीन से अधिक संतान नहीं हैं।

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त की गई सूचना और संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी पूर्ण जानकारी के आधार परर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना असत्य/सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किये गये लाभ भी वापिस लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

स्व घोषणा (Self Declaration)

मैं पुत्र / पति उम्र

निवासी बीकानेर का / की हूँ

जो स्वयं घोषणा करता / करती हूँ कि :-

1. मेरे पति / पिता / माता पद जिनकी नगर निगम बीकानेर में कार्यरत रहते हुए दिनांक को मृत्यु हुई है।
2. यह कि मृतक आश्रित परिवार में निम्न सदस्य है :-

क्र. सं.	नाम	मृतक से संबंध	आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित / अविवाहित	मासिक आय

3. यह कि मृतक आश्रित के रूप में मेरे पुत्र / पुत्री / दत्तक पुत्र / दत्तक पुत्री / विधवा पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मनोनित करती हूँ। मेरे पुत्र / पुत्री / दत्तक पुत्र / दत्तक पुत्री / विधवा पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु मेरी तथा मृतक आश्रित परिवार की पूर्णतया सहमति है।
4. यह कि मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की कानूनी बोर्ड, संगठन / निगम अन्य संस्था में जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र / राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं हैं, एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।
5. यह कि मैं मृतक आश्रित की विधवा / विधुर के रूप में जीवन व्यापन कर रही हूँ। मेरे द्वारा अभी तक पुर्णविवाह नहीं किया गया हैं और ना ही करूंगी।

घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त की गई सूचना और संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी पूर्ण जानकारी के आधार पर सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस तथ्य की सही जानकारी है कि यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना असत्य / सही नहीं होने पर मुझे नियमानुसार दी जाने वाली सजा का सामना करना होगा और प्राप्त किये गये लाभ भी वापिस लिये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर